न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–623 सन् 2009

विरेन्द्र राय.....वादी।

बनाम

दिनदयाल राय वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 17.08.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 01.05.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 03 मु0 चम्पा कुंवर जौजे स्व0 रामजन्म बैठा की निधन दिनांक 21.01.2023 को अपने कानूनी वारिसानों को छोड़कर हो गई है। वादी प्रतिवादी सं0 03 का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 03 का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 06.07.2023 को दाखिल कर वादी का आवेदन को विरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 03 मु0 चम्पा देवी थी जिनकी मृत्यू दिनांक 21.01.2023 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी प्रतिवादी सं0 03 का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 01.05.2023 को 500/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए एवं उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान करें।

वाद दिनांक.....को प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।